राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18017/2024

फरहत खान पुत्र महमूद खान, आयु लगभग 61 वर्ष, निवासी मकान नंबर 334/30, चुन पचन गली, नाला बाजार, अजमेर, राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका प्रधान कार्यालय बड़ौदा भवन, 7 वीं मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, वडोदरा-390007, गुजरात में है और शाखा कार्यालय रेलवे कैंपस, स्टेशन रोड, अजमेर, राजस्थान में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री कपिल कुमार कुमावत

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

<u>आदेश</u>

<u>28/11/2024</u>

1. यह याचिका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13(2) और 13(4) के तहत क्रमशः जारी किए गए दिनांक 29.07.2024 और 08.10.2024 के नोटिसों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी-बैंक से प्राप्त दो ऋण सुविधाओं में सह-उधारकर्ता था। एक 36,00,000/- रुपये का बंधक ऋण था और दूसरा 10,04,000/- रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा थी। उधारकर्ता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे और दोनों खातों को 23.07.2024 को गैर-निष्पादित आस्ति (संक्षेप में 'एनपीए') घोषित कर दिया गया। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक

(29/05/2025 को 01:24:56 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

29.07.2024 को एक नोटिस जारी किया गया था और 28.07.2024 से ब्याज सहित 47,60,101/- रुपये की राशि देय पाई गई थी। याचिकाकर्ता ने आपत्ति दर्ज न करने का विकल्प चुना। इसके बाद अधिनियम की धारा 13(4) के तहत दिनांक 08.10.2024 को नोटिस जारी किया गया और 27.07.2024 तक 47,60,101/- रुपये की राशि देय थी।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत एक नोटिस के अंतिम पैरा 5 में, 20.07.2024 तक 47,60,101/- रुपये प्लस ब्याज की राशि देय दिखाई गई है, जबकि खातों को 23.07.2024 को एनपीए घोषित किया गया था। यह तर्क है कि प्रतिवादी-बैंक द्वारा सटीक देय राशि का खुलासा नहीं किया गया है।

4. याचिकाकर्ता के पास ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष उपचार है, हालांकि, तर्क यह है कि आज की तारीख में पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल समाप्त हो गया है।

5. जो भी हो, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क योग्यता रहित है। अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस में एक सारणीबद्ध रूप में यह उल्लेख किया गया है कि देय राशि 47,60,101/- रुपये प्लस 28.07.2024 से ब्याज और अन्य विविध शुल्क हैं। अधिनियम की धारा 13(4) के तहत नोटिस में 27.07.2024 तक वही राशि देय है। उल्लिखित दिनांक राशि और अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नोटिस में सारणीबद्ध रूप में उल्लिखित दिनांक के अनुरूप है। देय राशि 28.07.2024 से ब्याज सहित 47,60,101/- रुपये थी जो इंगित करता है कि दिखाई गई देय राशि 27.07.2024 तक की है। दिनांक 29.07.2024 के नोटिस के पैरा 5 में प्रथम दृष्टया गलती दिनांक का उल्लेख करने में टंकण त्रुटि प्रतीत होती है।

6. एक अन्य पहलू यह है कि याचिकाकर्ता के पास अधिनियम की धारा 13(3-ए) के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी नोटिस पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार था, याचिकाकर्ता ने ऐसा न करने का विकल्प चुना। न तो देय राशि को चुनौती दी गई है और न ही याचिकाकर्ता ने शेष देय राशि के खातों का निपटान करने के लिए बैंक से संपर्क किया है।

7. हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और रिट याचिका खारिज की जाती है।

(29/05/2025 को 01:24:56 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

8. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका की बर्खास्तगी याचिकाकर्ता को ऋण वसूली अधिकरण के समक्ष विधि के अनुसार उपचारों का लाभ उठाने से नहीं रोकेगी।

(अवनीश झिंगन),जे

मोनीका/15

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

Arish Bhalla Law Offices
Corporate office-
PlotNo. 73 (West Part), First Floor, Jem Vihar, Behind Sanganer Stadium, Sanganer-302029, Jaipur (Raj.)
ARISHBHALLA

(29/05/2025 को 01:24:56 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)